

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3595 / 2023

दिनांक : 04.12.2023

श्रीमती देवांगिनी औदित्य (RJ00895), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, डूंगरपुर को दिनांक 20.12.2023 से 22.12.2023 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 23.12.2023 से 01.01.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती औदित्य की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, डूंगरपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/66/2015/7818

दिनांक 04.12.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर को उनके पत्रांक 3507 दिनांक 24.11.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती देवांगिनी औदित्य (RJ00895), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, डूंगरपुर ।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, डूंगरपुर ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर ।

सहायक रजिस्ट्रार